

हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग(नियुक्ति-11)

सं० पर(एपी-बी)ए(3)-15/2013

तारीख शिमला-2,

19 जुलाई, 2016

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में, उप सचिव, गैर-हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, वर्ग-1 (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1.

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, उप सचिव, गैर-हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, वर्ग-1, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 है।
- (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

निरसन और व्यावृत्तियां। 2.

- (1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या: पर (एपी-बी) बी(2)-4/98 दिनांक 20-11-1998 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, उप सचिव(गैर-हिमाचल प्रदेश शासकीय सेवा) वर्ग-1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1998 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

वी०सी०फारका
मुख्य सचिव
हिमाचल प्रदेश सरकार।

... 2 ...

पु0संख्या सं0 पर(एपी-बी)ए(3)-15/2013

तारीख शिमला-2, 19 जुलाई, 2016

प्रतिलिपि प्रेषित है :

1. अति0 मुख्य सचिव (कार्मिक/वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171 002
2. प्रधान सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171 002
3. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-171 002 को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
4. संयुक्त सचिव विधि परामर्शी-एवं-संयुक्त सचिव(विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
5. अतिरिक्त प्रतियाँ-50



(राम सिंह रनोट)
अवर सचिव(कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।
दूरभाष 0177-2624646

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय में उप सचिव, गैर-हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, वर्ग-। (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1. पद का नाम : उप सचिव
2. पदों की संख्या : 01 (एक)
3. वर्गीकरण : वर्ग-। (राजपत्रित)
4. वेतनमान : पे बैंड ₹ 15600-39100 जमा ₹ 7600/-ग्रेड पे
5. चयन पद अथवा अचयन पद : चयन
6. सीधी भर्ती के लिए आयु : लागू नहीं
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं : आयु: लागू नहीं ।
शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो : लागू नहीं।
10. भर्ती की पद्धति-भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता : शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा :

अवर सचिवों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल, या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर अवर सचिवों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी के रूप में संयुक्ततः चार वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके चार वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें अवर सचिव के रूप में दो वर्ष का अनिवार्य सेवाकाल भी सम्मिलित होगा।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा

या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण:- अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज,1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे, एक्स सर्विसमेंन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज,1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी,यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना : जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा : लागू नहीं ।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन : लागू नहीं ।
16. आरक्षण : सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
17. विभागीय परीक्षा : सेवा में प्रत्येक सदस्य को, हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।
18. शिथिल करने की शक्ति : जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी ।

(Authoritative English Text of this department Notification No.Per(AP-B)A(3)15/2013 dated 19-07-2016 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Personnel (AP-II)

No. Per(AP-B)A(3)15/2013

Dated Shimla-171002, 19th July, 2016

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 read with Article 318 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Deputy Secretary, Non-HPAS, Class-I (Gazetted) in the Himachal Pradesh Public Service Commission as per Annexure "A" attached to this notification; namely:-

- | | | | |
|-------------------------------|----|-----|--|
| Short title and commencement. | 1. | (1) | These rules may be called the Himachal Pradesh Public Service Commission, Deputy Secretary, Non-HPAS, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2016. |
| | | (2) | These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh. |
| Repeal and savings. | 2. | (1) | The Himachal Pradesh Public Service Commission, Deputy Secretary (Non-HPAS), Class-I(Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1998 notified vide this department notification No. Per(AP-B)B(2)4/98, dated 20-11-1998 are hereby repealed. |
| | | (2) | Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules. |

By Order

V.C. Pharka
Chief Secretary to the
Government of Himachal Pradesh


..2..

: 2 :

No. Per(AP-B)A(3)15/2013 Dated Shimla-171002, the 19th July, 2016

Copy forwarded to:

1. The Addl. Chief Secretary (Personnel/Finance) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2.
2. The Pr. Secretary(Law) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
3. The Secretary, Himachal Pradesh, Public Service Commission, Himachal Pradesh, Shimla-2.
4. The DLR-cum-Deputy Secretary (Law) to the Govt. of HP, Shimla-2.
5. Branch Guard File/ spare copies-50.



(Ram Singh Ranot)

Under Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh
Tel. No. 0177-2624646

Annexure "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DEPUTY SECRETARY, NON-HPAS, CLASS-I (GAZETTED) IN THE OFFICE OF HIMACHAL PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION.

- | | |
|---|--|
| 1. Name of post | Deputy Secretary |
| 2. Number of posts | 01 (one) |
| 3. Classification | Class-I (Gazetted) |
| 4. Scale of pay | Pay Band ₹ 15600-39100 + ₹ 7600
Grade Pay |
| 5. Whether Selection post or non-selection post | Selection |
| 6. Age for direct recruitment | Not Applicable |
| 7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits | Not Applicable |
| 8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees. | Age - Not Applicable
Educational Qualification :
Not Applicable |
| 9. Period of probation, if any | Not applicable. |
| 10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods. | 100 % by promotion. |
| 11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which | By promotion from amongst the Under Secretaries possessing 03 years' regular service or regular combined |

promotion / deputation /
transfer is to be made

with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Under Secretaries possessing 04 (four) years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Under Secretary and Section Officer combined which shall also include essential service of 02 years as Under Secretary.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules :

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service / appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration :

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R & P Rules for the post, whichever is less :

Provided further that where a person becomes ineligible to be

considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION : The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

- (2) Similarly in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment / promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R & P Rules :

Provided that inter-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the HP Public Service Commission is to be consulted in making recruitment As required under the law.
14. Essential requirement for direct recruitment Not Applicable
15. Selection for appointment to post by direct recruitment Not Applicable
16. Reservation The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes / Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination Every member of the service shall pass the Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997.
18. Power to relax Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).
